रमेश चंद बनाम सरकार

2020/00113

निर्णय दिनांकः–15.05.2023

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2020/00113 दर्ज तिथिः– 20.11.2020

1. रमेश चंद पुत्र लादू जाति माली निवासी गुवाडा हार तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
2. बाबूलाल पुत्र लादू जाति माली निवासी गुवाडा हार तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.................प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला–अलवर।

...................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री के.के.शर्मा द्वितीय।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 हाल आराजी खाता संख्या.45 खसरा नम्बर 443 रकबा 0.88 है0 वाके गुवाडा हार तहसील थानागाजी [illegible] अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत 2[illegible]–20[illegible] वाके ग्राम गुवाडा हार तहसील थानागाजी में प्रार्थीगण के नाम[illegible] अंकन रमेश [illegible] पुत्र लादू के स्थान पर छोटेलाल पुत्र लादू व पप्पू पुत्र लादू के स्थान पर बाबूलाल पुत्र लादू अंकित कर [illegible]या है। जबकि प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजों में रमे[illegible]न्द पुत्र लादू व बाबू[illegible]त्र लादू दर्ज है। जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के नाम में भिन्नता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड में रमेश चन्द पुत्र लादू व बाबूलाल पुत्र लादू दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074—2077 वाके ग्राम गुवाडा हार तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या 45 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार का नाम	हिस्सा	खसरा संख्या	रकबा
किलाण पुत्र लादू	1/11	443	0.88 है0
छोटेलाल पुत्र लादू	1/11		
धोली पुत्री लादू	1/11		
पप्पू पुत्र लादू	1/11		
पूरणमल पुत्र लादू	1/11		
बाबूडी पत्नि लक्ष्मण	1/33		
मुकेश पुत्र लक्ष्मण	1/33		
मूसी पुत्री लादू	1/11		
महेश पुत्र लादू	1/11		
मीरा पुत्री लादू	1/11		
रोशन पुत्र लक्ष्मण	1/33		
लाडा पत्नि लादू	1/11		
सियाराम पुत्र लादू	1/11		

4. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजों में रमेश चन्द पुत्र लादू व बाबूलाल पुत्र लादू अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	रमेशचन्द सैनी
अधार कार्ड	बाबूलाल सैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का नाम रमेशचन्द सैनी पुत्र लादू व बाबूलाल सैनी पुत्र लादू है।

5. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

प्रकरण में मौके पर रमेश पुत्र लादू व अन्य उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछने पर बताया कि रमेश चन्द पुत्र लादू का बोलता नाम छोटेलाल पुत्र लादू है लेकिन दस्तावेजों में रमेश चन्द पुत्र लादू दर्ज है। बाबूलाल पुत्र लादू का बोलता नाम पप्पू पुत्र लादू था लेकिन दस्तावेजो में बाबूलाल पुत्र लादू दर्ज है। रमेश व छोटेलाल, बाबूलाल व पप्पू का नाम अलग–अलग न होकर छोटेलाल का सही नाम रमेश चन्द हे तथा पप्पू का सही नाम बाबूलाल है।

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम गुवाडाहार तहसील थानागाजी में भी प्रार्थीगण के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम गुवाडाहार तहसील थानागाजी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–3 के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रमेश चन्द पुत्र लादू व बाबूलाल पुत्र लादू अंकित है जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम छोटेलाल पुत्र लादू तथा पप्पू पुत्र लादू को *कलमजन कर उसके स्थान पर* **रमेश चन्द पुत्र लादू** व **बाबूलाल पुत्र लादू** *का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

Signature Not Verified

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)